राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1880/2011/भरतपुर

मैसर्स गोवर्धन ऑयल्स, मिल्स भरतपुर

2. अपील संख्या 1883/2011/भतरपुर

मैसर्स राम इण्डस्ट्रीज, भरतपुर

3. अपील संख्या 1884/2011/भरतपुर

मैसर्स श्री भगवती उद्योग, भरतपुर

4. अपील संख्या 1885/2011/भरतपुर

मैसर्स बाबा उद्योग, भरतपुर

5. अपील संख्या 1886/2011/भरतपुर

मैसर्स कमला ऑयल्स इण्डस्ट्रीज, भरतपुर

6. अपील संख्या 2296/2011/भरतपुर

मैसर्स श्री हीरालाल तेल उद्योग, भरतपुर

...अपीलार्थीगण.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.बी.अग्रवाल,
अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01.03.2016

उपरोक्त अपीलें अपीलार्थीगण द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश कमशः अपील संख्या 216, 202, 235, 212, 203, 199/उपा–अपील्स /2010–11 में पारित आदेश दिनांक 21.04..2011 व 16.06. 2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 (जिसको आगे **"अधिनियम"** कहा गया है) की धारा 24, 33, 55 व 61(1) सपठित धारा 9 सीएसटी एक्ट, 1956 कर निर्धारण वर्ष 2006–07 हेतु पारित आदेश दिनांक 20.07.2010 सपठित आदेश दिनांक 18.08.2010 व दिनांक 20.09.2010 को आंशिक रूप से स्वीकार किया है एवं आंशिक रूप से प्रतिप्रेषित किया है। जिसमें निम्नतालिका के अनुसार पुष्टि की गई राशियों को यहां विवादित किया गया है :–

अपील संख्या	उपायुक्त अपील्स का आदेश दिनांक	विवादित मांग राशि		
		कर	ब्याज	शास्ति
1880/11	21.04.11	36,583	16,462	1,46,331
1883/11	21.04.11	1,47,734	66,480	5,90,936
1884/11	21.04.11	1,52,105	68,448	6,11,668
1885/11	21.04.11	20,621	9,280	54,988
1886/11	21.04.11	38,251	17,213	1,53,006
2296/11	16.06.11	2,69,852	66,076	5,39,704

लगातार.....2

समस्त छः प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के विवादित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायियों की वर्ष 2006–07 सम्बन्ध में घोषित सरसों तेल की अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्र प्रारूप "सी" की वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत ब, भरतपुर द्वारा बिहार राज्य से करायी गई प्रति सत्यापन जांच में व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र प्रारूप "सी" माल क्रेता व्यवहारियों को बिहार के संबंधित कार्यालयों द्वारा निर्गत होना नहीं पाया गया अर्थात व्यवसायियों द्वारा घोषणा पत्र सी मिथ्या एवं कूटरचित प्रस्तुत किये गये हैं। तदुपरान्त Prosecutor should not be a judge परिपत्र No. 2536 प. 3(म)(10)/ज्यूरिस/ कर/आयुक्त/97/536 दिनांक 07.08.09 की अनुपालना में प्रकरण की पत्रावलियां वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत ब, भरतपुर से कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायीगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 24, 55 व 61 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 के तहत दिनांक 20.07.10 को व्यवसायियों के विरूद्ध मांग कायम की गई। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने तालिका के अनुसार विवादित मांग की पुष्टि की गई, जिसको अपीलार्थीगण द्वारा बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश मनमानें आधारों पर व व्यवसायी को सुनवाई को पूर्ण अवसर नहीं देने के कारण इसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाना अनुचित है। अतः आदेश अपास्त करने योग्य है।

क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि जब व्यवसायीगण के विरूद्ध करवंचना का कोई वाद नहीं बनाया गया एवं फर्मों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया एवं न ही व्यवसायीगण के बहियात से कोई संव्यवहार छुपाया नहीं पाया गया एवं न ही उनके द्वारा कोई गलत सूचना प्रस्तुत की गई तब तक उक्त प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृ ब, भरतपुर से कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित करना विधिसम्मत नहीं है। अतः बिना क्षेत्राधिकार के कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। कर निर्धारण की समस्त कार्यवाही बिहार राज्य से प्राप्त सत्यापन जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है जिसे सर्वेक्षण नहीं कहा जा सकता। इसलिये वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत ब, भरतपुर से पत्रावली का स्थानान्तरण बिना क्षेत्राधिकार के व नियमानुसार गलत है। इसलिये कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

लगातार.....3

विद्वान अभिभाषक के अनुसार विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। विधि के अनुसार अधिनियम की धारा 24 में एक ही समय व एक ही टर्नओवर के तहत एक से अधिक कर निर्धारण पारित नहीं किये जा सकते। अपीलार्थी व्यवसायीगण के तिमाही कर निर्धारण अधिनियम की धारा 24 सपठित 9 ऑफ सी0एस0टी0 एक्ट के तहत पूर्व में ही पारित किये जा चुके थे, जिनमें आदेश पारित किये गये थे, वे "सी" प्रपत्रों को स्वीकार कर पारित किये गये थे। उन्होंने Notification No. F. 12(22)FD/Tax/2008-49 dated 25.08.08 का हवाला दिया, जिसके अनुसार **"Dealer's Who's Assessment are pending for the year 2006-07 or part thereof and 2007-08 or part thereof shall be assessed annually for the year 2006-07 & 2007-08 under section 23 & 24 of the Act as a case may be"** अर्थात एक बार धारा 24 क तहत कर निर्धारण पारित करने के बाद पुनः धारा 24 के कर निर्धारण पारित करना क्षेत्राधिकार से बाहर है। विद्वान अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में ACTO V/s Yogiraj and Company (2007) 19 TUD Page 234 का उद्धरण पेश किया। तदनुरूप एक ही साथ दो भिन्न धाराओं में कर निर्धारण अविधिक है। इसके साथ ही उन्होंने निम्न उद्धरण प्रस्तुत किये :– (2002) 2टीयूडी 274 आर.टी.बी.सीटीओ बनाम चौपडा केमिकल्स 2003 (एसटीएन 211 आरटीबी रघबर इण्डिया (लि.) बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन,

विद्वान अभिभाषक के अनुसार अधिनियम की धारा 24 के तहत किया गया कर निर्धारण अधिनियम की धारा 90 के तहत भी अमान्य है, जिसके अनुसार **"No Assessment made and no order passed by any officer appointed or authority constituted under this Act shall be called into question exept as provided in this Act."** कर निर्धारण अधिकारी को अधिनियम के तहत धारा 24 में किये गये कर निर्धारण को पुनः करने या रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में AIR 1976 SC 789 के उद्धरण का हवाला दिया।

विद्वान अभिभाषक ने Maharaja Ummed Mills Ltd V/s Commissioner of Income Tax Rajasthan and others 121 ITR 641 का हवाला दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने AAC को यह निर्देश दिये कि व्यववसायी की प्रारम्भिक आपत्तियों पर निर्णय के बाद प्रार्थना पत्र का निष्पादन किया जाना चाहिये। इसके अलावा उन्होंने निम्न उद्धरण भी अपने तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत किये।

II Hon'ble Madras High Court in case of Karam Chand Thapar & Borther's (CS) Limited V/s Commercial Taxes Officers (FEC), Harbour-I Assessment Circle, Chennai, 144 STC 405

III Hon'ble Madras High Court in case of Mutthu Raja Traders V/s Deputy Commercial Taxes Officer 106 STC 283

IV Hon'ble Rajasthan High Court in case of Assam Roller Flour Mills Industrial Area Jhotwara, Jaipur V/s Commercial Taxes Officer Special Circle-II, Jaipur & others 1979 Tax Reporter 463.

लगातार.....4

विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने विद्वान अभिभाषक की प्रारम्भिक आपत्तियों का निर्णीत करने से पूर्व एवं व्यवसायीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने से पूर्व ही कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये थे। कर निर्धारण अधिकारी ने उनके सामने प्रस्तुत विविध न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिये तथा बिना कटुपरीक्षण के आदेश पारित किये गये, जिसकी पुष्टि किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायलय ने 30 STC 657, Sales Tax Officer, Ganjam and another V/s Uttareswari Rice mill व 2003 (16एसटीटी–13आरटीबी) सहायक आयुक्त बनाम बिरला फ्लोर मिल्स के प्रकरण में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर किसी अधिकारी के पास ऐसे साक्ष्य है जो वह किसी व्यवसायी के विरूद्ध कर निर्धारण में काम में लेना चाहता है तो उसे उस व्यवसायी के ध्यान में लाकर और उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद ही आदेश पारित करना चाहिए।

परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की अनुचित तौर पर पुष्टि कर दी गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपूर्ण रिपोर्ट जो बिहार से प्राप्त हुई उस पर कार्यवाही की गई, जो व्यवसायी के विरूद्ध काम मे नहीं ली जा सकती। अपीलार्थी व्यवसायीगण द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री के तहत बिक्री की जो दलालों के मार्फत की गई प्रत्येक विक्रय के साथ वैट–49 इन्श्योरेंस कवर लेटर, रोड परमिट संलग्न किये गये थे। समस्त बिक्री तिमाही बिक्री प्रपत्रों में दर्शायी गई थी एवं क्रेता व्यवसायीगण से "सी" फार्मस प्राप्त किये गये। समस्त इन्द्राज बहियात में दर्ज है जिन्हें सही मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिफण्ड जारी किये गये। बिहार राज्य से प्राप्त जांच रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, जो अपीलार्थी व्यवसायीगण के विरूद्ध साक्ष्य के रूप में काम में नहीं ली जा सकती है। इसके समर्थन में उन्होंने निम्न उद्धरण प्रस्तुत किये :

I. CTO A/E V/s Rajasthan Aluminum Industries, Jaipur RTC 1986 page 64
II. (1987) 66 STC 292 (S.C.) Kerala Glass Factory V/s Sales Tax Tribunal.
III. (1977) 39-STC 478 (S.C.) State of Kerala V/s Shadul Yusuf.
IV. Mukund Singh and Sons V/s Presiding Officers Sales Tax Tribunal Punjab and Haryana High Court 107 STC 300
V. Hon'ble Rajasthan Tax Board Ajmer in case of Khetan Industries Jalore V/s CTO A/E Commercial Taxes, Jalore 5 TUD 262.

उनके द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय मैसर्स सास्ता एन्टरप्राइजेज बनाम अपीलेट अथोरिटी का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिपादित किया गया कि एक बार बिक्री पूर्ण हो जाने पर विक्रेता व्यवसायीगण का क्रेता व्यवसायी पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है। अतः विक्रेता फर्म पर शास्ति आरोपण उचित नहीं है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रक भाडा व अग्रिम राशि व सी.एस.टी. पर भी करारोपण किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अन्तर्राज्यीय बिक्री पर सी फार्मस पेश करने के बाद भी 2 प्रतिशत से अन्तर कर आरोपित करना एवं इसकी पुष्टि करना न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है, जिसे समाप्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है वह उचित नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन को सिद्ध नहीं किया है। समस्त इन्द्राज अपीलार्थी व्यवसायीगण के बहियात में दर्ज है। अपीलार्थी व्यवसायीगण की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने CTO Birdi Chand Manchidhar 93 STC 346 का उद्धरण पेश किया। जिसमें अभिमत किया है कि कोई बिक्री अगर बहियात में दर्ज है एवं व्यवसायी की मनोस्थिति करापवंचन की नहीं है तो उस पर शास्ति आरोपणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवसायीगण के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किये :

I. (1989) 74 – STC 288 (RHC) CTO V/s Sojat Lime Co.
II. (2002) 97-STC 238 (RHC) ACTO V/s Kumawat Udyog Ltd.
III. (2009) 26 – VST 362 (Mad) State of T.N. V/s Indian Cements Ltd.
IV. Hon'ble Supreme Court of India in case of M/s Shri Krishna Electricals Vs State of Tammilnadu and another 23 VST 249.
V. Hon'ble Rajasthan High Court in case of ACTO Ward Ist Rajasamand Vs White Marble House 148 STC 14.

ब्याज आरोपण के प्रश्न पर विद्वान अभिभाषक ने निम्न उद्धरण पेश किये :–

I. (1984) 94 – STC 422 (SC)M/s J.K. Synthetics Ltd. V/s CTO
II. (2001)122-STC 410 (SC) M/s Mamta Wire Industries Pvt. Ltd. V/s Sales Tax Officer.
III. (2005) 141 –STC 12 (SC) EID Party (India) Ltd. V/s Asst. Commissioner.

उक्त उद्धरण प्रस्तुत कर उन्होंने कथन किया चूंकि कर की संगणना (quantify) नहीं होने से ब्याज आरोपण अविधिक है, इसको निरस्त किया जाना चाहिये।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारीगण को ट्रक भाडा अग्रिम राशि व सीएसटी पर देय कर पर ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसमें व्यवहारी को उचित राहत प्राप्त हो चुकी है तथापि मिथ्या एवं कूटरचित सी फार्म जो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये, इस पर करापवंचन स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है। क्रेता एंव विक्रेता दोनो व्यवहारीगण द्वारा कर का लाभ अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया है अतः इस पर आरोपित देय कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से उक्त कृत्य हेतु सृजित मांग की पुष्टि की गई है। मिथ्या एवं कूटरचित सी प्रपत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत तथ्य की उक्त सी प्रपत्र दलाल द्वारा उपलब्ध करवाये गये थे, उनका इसमें कोई दोषी मनोभाव नहीं होना कतई स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि अन्तरप्रान्तीय व्यवसाय के क्रम में किसी भी संव्यवहार के संबंध में छूट प्राप्त करने हेतु विहित विधिक प्रपत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी छूट प्राप्तकर्ता की होती है। अतः प्रस्तुत अपीलें निरस्त की जावें। उन्होंने समान तथ्यों व परिस्थितियों के प्रकरणों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय

लगातार.....6

दिनांक 25.06.2015 जो मैसर्स भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर व अन्य के प्रकरणों में पारित किया गया है, में प्रतिपादित व्याख्यायों के आलोक में उक्त अपील खारिज योग्य है एवं इन आधारों पर उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि हेतु निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त प्रकरणों के तथ्य विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित निर्णय जो राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 720, 721, 722, 723, 724, 732, 770, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 817, 818, 820, 835, 836, 837, 842, 1070, 1082, 1083, 1084, 1085, 1724, 1725, 1726, 1727, 1828, 1850, 1870, 1872, 1873, 1877, 1878, 1948/2011 एवं 753/2012 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 में प्रतिपादित व्यवस्था में समान तथ्य, समान परिस्थिति एवं समान प्रकृति विद्यमान है। अपीलार्थी व्यवहारीगण भरतपुर के तेल मिलें है जिन्होंने अपने अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के समर्थन में दलालों से प्राप्त बोगस "सी" प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये है जिनकी जांच विभाग द्वारा कराये जाने पर बिहार के तत्संबंधित कार्यालयों द्वारा जारी नहीं किये जाने पाये गये हैं। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उक्त संव्यवहार दलालों के मार्फत किये गये थे और सी प्रपत्र भी उन्हीं के माध्यम से प्राप्त किये गये थे। अब उक्त दलाल भी परिदृश्य में उपलब्ध नहीं है। उक्त संव्यवहार बिना "सी" प्रपत्र समर्पित ही माने जावेगें। हस्तगत अपीलों में क्षेत्राधिकार, त्रैमासिक, कर निर्धारण, संशोधन आदेश, शीघ्र प्रतिदाय के मामले, प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के उद्धरण, प्रस्तुत कानून के प्रावधान तथा बिहार के केताओं के साथ संव्यवहार की प्रकृति इत्यादि सभी तथ्य उपरोक्त वर्णित निर्णीत अपीलों के तथ्यों के समानार्थ है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 25.06.2015 में इन तथ्यों पर व्यवस्था सुस्थापित कर दी गई है। तदनुरूप **"(130) At the backdrop of above, the mustard oil was taxable @ 4 % in the State of Rajasthan for fiscal 2006-07 and the CST payable on its sale to the registered dealers of other States in the course of inter-Sate trade and commerce from Rajasthan was @ 2 % on condition of furnishing C forms on strength of Notification no. F 12 (63) FD / Tax/ 2005-101, dated: October 18, 2006 issued under sub-section (5) of section 8 of the CST Act ,1956 in supersession of earlier notification No.F 12 (14) FD/ Tax/ 2006-134, dated: March 03. 2006 whereby rate of the CST payable on the inter-State transactions of mustard oil was stipulated @ 1 per cent which continued until October 17, 2006; but, in case such sales were not carried through by virtue of being fortified with C-forms, they were exigible to tax @ 10 per cent, as was the case in the aforesaid impugned appeals for the year 2006-07 for want of valid C-Forms."**

लगातार.....7

व्यवस्था प्रतिपादित की गई है। उक्त निर्णय की व्यवस्था इन अपीलों के विवेचन में पूर्णतः लागू होती है। अतः अब अलग से विवेचन की आवश्यकता नहीं है। तथापि उक्त निर्णीत अपीलों में अपीलार्थियों के विरूद्ध करापवंचन की शास्ति में राहत दी गई है, चूंकि समस्त परिस्थितियां हस्तगत अपीलों में भी समान है अतः करापवंचन हेतु आरोपित शास्ति राशियों को अपास्त किया जाता हैं।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा राज्य सरकार के आदेश सं. प. (12) (120)वित्त/कर/2005/पार्ट–ब दिनांक 16.04.2008 के द्वारा राज्य की कर दर से अधिक करारोपण के बिन्दु पर प्रतिरोध किया गया। परन्तु राज्य सरकार के उक्त आदेश में करारोपण करने के पश्चात् ही अपलेखन विधि अनुरूप किया जा सकता है। अतः फिलहाल राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय के अनुसार ही सरसों तेल की अन्तःप्रान्तीय बिक्री पर तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसरण में 10 प्रतिशत की कर देयता मे करारोपण किये जाने का औचित्य है। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश इस हद तक परिवर्तित (Modified) किये जाते हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश की अनुपालना कर दिये जाने से अब देयकर के विलम्ब पर ही ब्याज आरोपणीय होगा।

कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 25.06.2015 में स्थापित व्यवस्था के अनुरूप करारोपण एवं तदनुरूप कम जमा देयकर पर विलम्ब हेतु ब्याज गणना के लिये तीनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत छः अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाते हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

1-3-2016

(मदन लाल)
सदस्य